



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1946 (श10)

(सं0 पटना 71) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2025

अधिसूचना संख्या 08/2025 राज्य कर (दर)

एस० ओ० 57, दिनांक 16 जनवरी 2025 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 17 /2017 राज्य-कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक 560 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

” विशिष्ट परिसर का वही अर्थ है जो “वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य-कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक 554 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के पैराग्राफ 4 के मद (xxvi) में दिया गया है ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-20)08)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 जनवरी 2025

एस० ओ० 57, दिनांक 16 जनवरी 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-20)08)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th January 2025

Notification No. 08/2025- State Tax (Rate)

S.O. 57, Dated 16th January 2025—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. 17/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 560, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the *Explanation*, for item (c), the following shall be substituted, namely,-

““specified premises” has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 08)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 71-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>